न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी श्री करतारसिंह पूनियां आर.ए.एस.

अपील संख्या 114/2013

धन्नाराम पुत्र मोटाराम जाति जाट निवासी जाखड़ावाली हाल चक 1 जे डब्ल्यू ढाणी तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।

——अपीलार्थी

बनाम

1. तखी देवी पत्नी रावता राम
2. रूपा देवी
3. सुनीता देवी
4. पृथ्वीराज
5. साहब राम
6. ओम प्रकाश
7. जगदीश

पिसरान रावता राम — अकवाम जाट निवासीगण जाखड़ावाली तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।

8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।

—— रेस्पोडेंट्स

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

विरूद्ध आदेश उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा, दिनांक 08.11.13, प्र. सं. 4/2010

उपस्थितिः—

श्री नरेश कुमार पारीक, अभिभाषक अपीलार्थी

श्री संजय चाण्डक, अभिभाषक रेस्पोडेंट

श्री खुशकरण सिंह खोसा, राजकीय अभिभाषक

निर्णय दिनांक 27.08.2021

राजस्व अपील अधिकारी
हनुमानगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Karrar Singh Poonia
Date: 2021.09.13 12:37:02 IST
Reason: SelfAttested

1. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि तहसीलदार पीलीबंगा द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 15एएए (2–क) के तहत रावता राम को दिनांक 27.02.1996 को चक 2 सी एस के पत्थर नम्बर 95/359 के किला नम्बर 1 से 3 व 6 से 20 की खातेदारी प्रदान की गई थी जिसके विरूद्ध धन्नाराम अपीलांट द्वारा अतिरिक्त कलैक्टर हनुमानगढ़ के समक्ष अपील संख्या 13/2007 पेश करने पर अतिरिक्त कलैक्टर हनुमानगढ़ द्वारा सुनवाई करने के पश्चात् अपील दिनांक 30.03.2007 को इस आधार पर स्वीकार कर ली कि राज्य सरकार के परिपत्र एफ–5(3) राज/4/76/राज –6–17 दिनांक 26.12.1992 से तहसीलदार को शक्तियां प्रदान नहीं है। इस आधार पर प्रकरण उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा को पक्षकारों को सुनकर निर्णय पारित करने के निर्देश दिये गये।

2. पत्रावली उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा को प्राप्त होने पर सुनवाई करने के पश्चात् उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा ने दिनांक 16.01.2008 को विवादित भूमि पर धन्नाराम व रावता राम को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 15एएए (3) के तहत निःशुल्क खातेदारी प्रदान करने के आदेश दिये।

3. उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा के उक्त आदेश दिनांक 16.01.2008 के विरूद्ध रावता राम ने इस न्यायालय में अपील पेश की, जो अपील संख्या 1/2007 दर्ज रजिस्टर होकर दोनों पक्षों को सुनकर अपील स्वीकार की जाकर प्रकरण उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा को रिमाण्ड किया गया।

4. प्रकरण रिमाण्ड होने पर उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा ने दोनों पक्षों को सुनकर रावता राम के वारिसान को विवादित भूमि पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 15एएए (3)(2–क) के तहत निःशुल्क खातेदारी प्रदान करने के आदेश दिये जिसके विरूद्ध अपीलांट धन्नाराम ने इस न्यायालय में यह अपील पेश की है।

5. उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Kartar Singh Poonia
Date: 2021.09.13 12:37:02 IST
Reason: SelfAttested

6. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में मुख्य रूप से अपील मीमों एवं लिखित बहस में वर्णित तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि विवादित भूमि अपीलांट के पिता मोटाराम की पूर्व 55 की आरजी काश्त की भूमि थी एवं मोटाराम को 1952 से 1954 तक अस्थाई काश्त पर आवंटन कर नवीनीकरण किया जाता रहा। उक्त भूमि को आवंटन करवाने हेतु मोटाराम ने डी सी सी के यहां प्रार्थना पत्र पेश किया जिस पर दिनांक 20.12.1972 को उक्त भूमि मोटाराम को 1955 की पूर्व से कब्जा काश्त की मानते हुए आवंटन की गई। उक्त भूमि को 1955 के पूर्व के आधार पर आवंटन करवाने हेतु सक्षम अधिकारियों द्वारा पिता को नोटिस भेजे जाते रहे हैं जिस पर मोटाराम द्वारा प्रार्थना पत्र पेश किया। उक्त आवंटन जैला सिंह बनाम स्टेट के निर्णय से खारिज हो गया, इसलिए नये नियमों धारा 15एएए के तहत खातेदारी देने के आदेश पारित किये गये। विवादित भूमि पर पहले मोटाराम का व मोटाराम की मृत्यु होने पर धन्नाराम व रावता राम का कब्जा काश्त चला आ रहा है। रावता राम व धन्नाराम 1993 में अलग हुए थे एवं दोनों भाईयों ने 15एएए के तहत खातेदारी प्रदान करने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया। दोनों भाईयों के प्रार्थना पत्र विचाराधीन रहे। तहसीलदार भू–निरीक्षक एवं पटवारी हल्का ने निर्धारित प्रारूप में रिपोर्ट की जिसमें दोनों भाईयों के परिवार के सदस्यों का वर्णन है। रेस्पोडेंट रावता राम ने अपीलांट को बताये बिना तहसीलदार के समक्ष प्रार्थना पत्र पेश कर दिया और अकेले ही खातेदारी अधिकार प्रदान कर ली। जिस पर अपीलांट ने अतिरिक्त कलेक्टर हनुमानगढ़ के यहां अपील पेश की जो रिमाण्ड की गई। रावता राम ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष ब्यान किये जिसमें घरू बंटवारा होना अंकित किया है, जबकि अपीलांट व रेस्पोडेंट के मध्य कोई बंटवारा नहीं हुआ। दोनों भाई संयुक्त रूप से काश्त करते आये है। अधीनस्थ न्यायालय ने रिमाण्ड आदेश की पालना किये बिना रेस्पोडेंट को खातेदारी अधिकार प्रदान करने में विधिक भूल की है। अतः निवेदन है कि अपील अपीलांट स्वीकार कर

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Kartar Singh Poonia
Date: 2021.09.13 12:37:02 IST
Reason: SelfAttested

अपीलाधीन आदेश निरस्त करते हुए विवादित भूमि पर अपीलांट को रेस्पोडेंट के साथ 1/2 हिस्से पर खातेदारी अधिकार प्रदान किये जावे। अपने पक्ष के समर्थन में वकील अपीलांट ने 1996 आर आर डी 146, 1995 आर आर डी 252, 1991 आर आर डी 468, 2017(2) आर आर टी 1385, 2018(2) आर आर टी 1166 की नजीरें पेश की।

7. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने अपनी बहस में कथन किया कि रेस्पोडेंट रावता राम का कब्जा काश्त मानते हुए दिनांक 27.02.1996 को तहसीलदार पीलीबंगा ने विवादित भूमि पर रावता राम को खातेदारी अधिकार प्रदान किये गये थे जिसके विरूद्ध अतिरिक्त कलेक्टर हनुमानगढ़ के समक्ष अपील पेश होने पर अपीलाधीन आदेश को क्षेत्राधिकार के बाहर मानते हुए अपील दिनांक 30.03.2007 को स्वीकार की गई। चूंकि विवादित भूमि पर रावता राम का ही कब्जा काश्त था एवं रावता राम को ही खातेदारी अधिकार प्रदान किये गये। अतिरिक्त कलैक्टर हनुमानगढ़ द्वारा प्रकरण सुनवाई हेतु उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा को प्रेषित किया गया जिस पर उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा ने दिनांक 16.01.2008 को विवादित भूमि पर धन्नाराम व रावता राम के वारिसान को खातेदारी अधिकार प्रदान किये गये जिस पर अपीलांट ने इस न्यायालय के समक्ष अपील पेश की, जो दिनांक 17.02.2009 को स्वीकार की जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड किया गया। अधीनस्थ न्यायालय ने सुनवाई करने के पश्चात् रावता राम के वारिसान को खातेदारी अधिकार प्रदान करने में कोई भूल नहीं की है। विवादित भूमि दिनांक 13.02.1973 को डी सी सी के आदेशानुसार बिना कीमतन रावता राम के नाम से मंजूर की गई थी जिसके विरूद्ध अपीलांट द्वारा कोई अपील नहीं की। इसके अतिरिक्त विवादित भूमि के चिपते हुए किला नम्बर 21 से 25 की 5 बीघा भूमि आवंटन अधिकारी द्वारा रेस्पोडेंट रावता राम को दिनांक 04.03.1982 को स्मालपेच में आवंटन की गई है। स्मालपेच में आवंटन उसी शर्त पर आवंटन किया जाता है कि स्मालपेच में आवंटन की जाने वाली भूमि

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Karnar Singh Poonia
Date: 2021.09.13 12:37:02 IST
Reason: SelfAttested

के चिपती हुई भूमि आवंटी की हो। उक्त स्मालपेच आवंटन को भी अपीलांट द्वारा चुनौती नहीं दी गई है। इस प्रकार यह उक्त दोनों आदेश अन्तिम हो चुके हैं। इसके अलावा रेस्पोडेंट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपना हल्फनामा पेश किया है जिसमें घरू बंटवारा 1990 में होने का उल्लेख किया है एवं घरू बंटवारा में पक्षकारों को प्राप्त भूमि का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया है। उक्त हल्फनामा का काउंटर हल्फनामा अपीलांट द्वारा पेश नहीं किया है। चूंकि दोनों ही पक्षकारों के मध्य आपसी बंटवारा होने के कारण ही विवादित भूमि रेस्पोडेंट रावता राम द्वारा खातेदारी अधिकार प्राप्त करने हेतु प्रार्थना पत्र पेश करने पर नियमानुसार खातेदारी प्रदान की गई है। कब्जा काश्त पूर्व में रावता राम का एवं वर्तमान में रावता राम के वारिसान का चला आ रहा है। अधीनस्थ न्यायालय ने सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए रावता राम के वारिसान को खातेदारी अधिकार प्रदान करने में कोई भूल नहीं की है। अतः अपील अपीलांट खारिज की जावे। अपने पक्ष के समर्थन में 1995 आर आर डी 252 की नजीर वकील रेस्पोडेंट ने पेश की।

8. बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

9. इस तथ्य बाबत् कोई विवाद नहीं है कि अपीलांट धन्नाराम व रावता राम आपस में भाई है एवं विवादित भूमि पहले मोटाराम को अस्थाई काश्त पर आवंटन थी। रावता राम द्वारा दिनांक 30.01.1996 को तहसीलदार पीलीबंगा के समक्ष विवादित भूमि पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 15एएए के तहत खातेदारी प्रदान करने हेतु निवेदन किया गया जिस पर तहसीलदार पीलीबंगा ने दिनांक 27.02.1996 को रावताराम को खातेदारी अधिकार प्रदान किये गये जिसके विरूद्ध धन्नाराम अपीलांट ने अतिरिक्त कलैक्टर हनुमानगढ़ के समक्ष अपील पेश की जो कानूनी बिन्दु पर दिनांक 30.03.07 को स्वीकार कर प्रकरण उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा को रिमाण्ड किया गया। प्रकरण रिमाण्ड होने पर उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा ने दिनांक 16.01.2008 को विवादित भूमि पर धन्नाराम व रावता राम को खातेदारी

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Karnar Singh Poonia
Date: 2021.09.13 12:37:02 IST
Reason: SelfAttested

अधिकार प्रदान किये गये जिसकी अपील इस न्यायालय में होने पर प्रकरण रिमाण्ड किया गया। रिमाण्ड आदेश की पालना में दोनों पक्षों को सुनकर अधीनस्थ न्यायालय में अपीलाधीन आदेश दिनांक 08.11.2013 को पारित किया। चूंकि विवादित भूमि के आवंटन हेतु पूर्व में रावता राम द्वारा प्रार्थना पत्र पेश किया था। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध प्रश्नोतरी रिपोर्ट दिनांक 24.02.1990 में विवादित भूमि पर सम्वत् 2012 में कब्जा रावता राम का दर्शाया गया है जिसके आधार पर ही डी सी सी द्वारा दिनांक 13.02.1973 को विवादित भूमि का पुख्ता आवंटन रावता राम के पक्ष में किया गया है जिसके विरूद्ध कोई अपील पेश किया जाना नहीं पाया जाता है। इसके अतिरिक्त विवादित भूमि के चिपती हुई पांच बीघा भूमि रावता राम को दिनांक 29.11.1982 को बतौर स्मालपेच में आवंटन हुई है। स्मालपेच में आवंटन उसी व्यक्ति को की जाती है जिसकी भूमि चिपती हुई हो। स्मालपेच में आवंटन शुदा भूमि को भी किसी सक्षम न्यायालय में चुनौती दी हो ऐसा कोई साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रावता राम ने एक शपथ पत्र दिनांक 20.12.2007 को पेश किया जिसके अनुसार रावता राम व धन्नाराम के बीच में घरू बंटवारा हुआ है। उक्त हल्फनामा के खण्डन स्वरूप अपीलांट ने न कोई हल्फनामा इस न्यायालय में पेश किया और ना ही अधीनस्थ न्यायालय में पेश किया है। इससे ऐसा प्रथम दृष्टया प्रतीत होता है कि दोनों पक्षकारों के मध्य घरू बंटवारा हुआ था। अपीलांट द्वारा जो न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये हैं उनका ससम्मान अवलोकन किया गया। तथ्यों के आधार पर इस प्रकरण में चस्पा नहीं होते। इसी प्रकार वकील रेस्पोडेंट ने जो न्यायिक दृष्टांत पेश किये हैं उसका भी ससम्मान अवलोकन किया गया। चूंकि विवादित भूमि के आवंटन हेतु रावता राम ने खातेदारी हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया था जिस पर रेस्पोडेंट का कब्जा काश्त मानते हुए एवं पारिवारिक बंटवारे का हल्फनामा को दृष्टिगत रखते हुए रावता राम के वारिसान को खातेदारी अधिकार प्रदान करने में अधीनस्थ

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Karnar Singh Poonia
Date: 2021.09.13 12:37:02 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय ने कोई विधिक भूल नहीं की। फलस्वरूप अपील अपीलांट स्वीकार योग्य नहीं है।

10. उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट अस्वीकार की जाती है एवं सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा का अपीलधीन आदेश दिनांक 08.11.2013 यथावत रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित लौटाया जावे। पत्रावली निर्णित शुमार व नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

निर्णय आज दिनांक 27.08.21 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

27/8/21

(करतारसिंह पूनिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Karrar Singh Poonia
Date: 2021.09.13 12:37:02 IST
Reason: SelfAttested